मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-11

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 9, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 89 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर सूची में से सदस्यों के नाम पुकारे जाने के बाद भी प्रश्नोत्तर के लिए नियत समय समाप्त नही हुआ फलतः कार्यसूची के अनुसार अगला विषय लिया गया।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत संकट होने,

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डिगांव से थुंधडका सीतामउ रोड का निर्माण कार्य गुणवत्ता अनुसार न किये जाने,

(3) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने रीवा जिले की तहसील सिरमौर के ग्राम गुढवा में आदिवासियों द्वारा कृषकों की भूमि पर कब्जा किये जाने, तथा

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में स्थित अनेक शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य ने भिण्ड एवं शिवपुरी जिले में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल में केरोसिन की मिलावट किये जाने की ओर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रूस्तम सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने ग्वालियर जिले के हरसी बांध से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 01	सामान्य प्रशासन के लिए नब्बे करोड़,पचासी लाख, पैतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए सत्रह करोड़, इक्यावन लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 03	पुलिस के लिए दस सौ बानवे करोड़, सतावन लाख, अठारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए दस करोड़, उनचास लाख, दस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 12	ऊर्जा के लिए छब्बीस सौ पन्द्रह करोड़, सतावन लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 14	पशुपालन के लिए एक सौ सतावन करोड़ इक्यासी लाख, उनतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक सौ सतासी करोड़, नौ लाख, छियासठ हजार रूपये
अनुदान संख्या - 32	जनसम्पर्क के लिए बयालीस करोड़, छियानवे लाख, अड़सठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए पांच करोड़, तेरह लाख, इक्यावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए चौरासी लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलॉजी) के लिए चार करोड़, अठासी लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 85	ग्यारहवें वित्तआयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस के लिए चार हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 88	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन न्याय प्रशासन के लिए एक हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 93	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़, सतहत्तर लाख रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	2,3,6
मांग संख्या - 2	1
मांग संख्या - 3	3,4,7,8,9,10
मांग संख्या - 4	2,3,4
मांग संख्या - 12	3,7,9,10,12,13,14,
मांग संख्या - 14	1,4,5,
मांग संख्या - 29	2,6,8,9
मांग संख्या - 32	2,4,5
मांग संख्या - 65	3
मांग संख्या - 69	2
मांग संख्या - 85	1,2
मांग संख्या - 88	1
मांग संख्या - 93	2,3,4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(2) श्री लाल सिंह आर्य

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा

(5) श्री सत्यदेव कटारे

(6) श्री रामलखन शर्मा

(7) श्री ताराचंद बावरिया

(8) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

(9) डॉ. गोविन्द सिंह

(10) श्री नानालाल पाटीदार

(11) श्री आरिफ अकील

(12) श्री लाखन सिंह बघेल

(13) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(14) श्री रामनिवास रावत
(15) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए छह सौ चालीस करोड़, उड़तालीस लाख, साठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 34	समाज कल्याण के लिए सत्ताईस करोड़, अठानवे लाख, इकसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए चवालीस करोड़, तैतालीस लाख, बत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए अठावन करोड़, सैतीस लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के लिए सात सौ उनतीस करोड़, सतहत्तर लाख, पचानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 79	चिकित्सा शिक्षा के लिए एक सौ छियासी करोड़, सत्ताईस लाख, दस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 90	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए एक हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 19	2,3,9,11
मांग संख्या - 34	4,5
मांग संख्या - 49	4,6,8
मांग संख्या - 61	3
मांग संख्या - 64	3
मांग संख्या - 79	2,4
मांग संख्या - 90	2,4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(2) श्री किशोरीलाल वर्मा
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री आरिफ अकील
(5) श्री बहादुर सिंह चौहान
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(8) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(9) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(11) श्री बाबूलाल महाजन

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(12) डॉ. गोविन्द सिंह
(13) श्री बृजमोहन धूत
(14) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(15) श्री ध्यानेन्द्र सिंह

(16) श्री शंकर लाल तिवारी

(चर्चा अपूर्ण)

5.57 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 01 मार्च 2005 (फाल्गुन 10, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.